प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी
Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

सबके लिए आवास भागीदारी में किफायती (ए.एच.पी.) घटक के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा निर्मित "पारा आवास योजना (अ)" (जी+3) प्रकार के 264 आवास प्राप्त करने हेतु

स्वर्णिम अवसर

कार्यस्थल : सदरौना रोड, मुन्नू खेड़ा, निकट गोकुल ग्राम आवास योजना, पारा, लखनऊ

पंजीकरण केवल आनलाइन माध्यम से प्राप्त किए जायेंगे
Online Registration Website - https://lmc.up.nic.in

रेरा पंजीकरण संख्याः
UPRERAPRJ479519

पंजीकरण अवधिः
16 जनवरी, 2024 से 15 फरवरी, 2024

लखनऊ नगर निगम

टी.एन. मार्ग, लालबाग, लखनऊ
फोन/फैक्स : 0522-2612639, E-mail : nnlko@up.nic.in

योजना के मुख्य आकर्षण बिन्दु

आगरा एक्सप्रेस वे
मात्र 4 किमी. की दूरी पर

अवध चौराहा
मात्र 5 किमी. की दूरी पर

बुद्धेश्वर चौराहा
मात्र 6 किमी. की दूरी पर

डॉ. शकुन्तला मिश्र यूनिवर्सिटी
मात्र 7 किमी. की दूरी पर

आलमबाग बस स्टैण्ड
मात्र 8 किमी. की दूरी पर

चारबाग रेलवे स्टेशन
मात्र 10 किमी. की दूरी पर

1. सुपर एरिया - 33.06 वर्ग मीटर।
2. कारपेट एरिया - 24.52 वर्ग मीटर।
3. दो कमरा, एक किचन/एक बाथरूम, एक शौचालय एवं बालकनी।
4. रु. 5,000/- (रुपये पाँच हजार मात्र) देकर फ्लैट का ऑनलाईन पंजीयन कराया जा सकता है।
5. केन्द्र सरकार का अंशदान - रु. 1.50 लाख।
6. राज्य सरकार का अंशदान - रु. 1.00 लाख।
7. लाभार्थी द्वारा देय धनराशि - रु. 3.50 लाख।
8. प्रति भवन की कुल लागत - रु. 6.00 लाख।
9. लाभार्थी द्वारा देय 1% अनुरक्षण व 1% कारपस धनराशि - रु. 0.12 लाख।
10. चयनित पात्र लाभार्थी द्वारा वहन की जाने वाली (भवन लागत धनराशि रु. 3.50 + 1% अनुरक्षण व 1% कारपस धनराशि रु. 0.12 लाख) कुल देय धनराशि रु. 3.62 लाख प्रति भवन/फ्लैट।

भुगतान का विवरण :-

- लॉटरी के माध्यम से आवंटन पत्र निर्गत होने के 30 दिवस के अन्तर्गत रु. 45,000/– देय होगा अन्यथा भुगतान न होने की दशा में आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
- पंजीकृत लाभार्थी द्वारा अवशेष देय धनराशि रु. 3,00,000/– पर आवंटन पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से 01 माह में सम्पूर्ण अवशेष धनराशि जमा किये जाने पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

  अथवा

  अवशेष देय धनराशि रु. 3,00,000/– पर 12 मासिक किश्तों में 9 प्रतिशत सामान्य ब्याज दर से रु. 26,235/– प्रति माह भुगतान देय होगा (विलम्ब से भुगतान करने पर 11 प्रतिशत साधारण ब्याज देय होगा)।
- उपरोक्त समस्त भुगतान होने के उपरान्त एक माह के अन्दर 1% अनुरक्षण व 1% कारपस की धनराशि कब्जा पत्र निर्गत होने से पूर्व कुल रु. 12000/– अतिरिक्त देय होगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत कुल 12788.00 वर्ग0मी0 भूमि पर 264 इ0डब्लू0एस0 आवासों का निमार्ण कार्य।

स्थल : ग्राम पारा में खसरा सं0– 1672, 1689, 1691 व 1696, लखनऊ

उद्देश्य :–

भारत के मा0 प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास उपलब्ध कराने की परियोजना प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के विभिन्न घटकों में से ''भागीदारी में किफायती आवास'' (ए0एच0पी0) घटक के अन्तर्गत लखनऊ नगर निगम द्वारा (जी+3 प्रकार) के चार मंजिले भवनों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को पक्का आवास उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है।

योजना का विवरण :–

प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत निर्माण कराये जा रहे भवनों का मूल्य प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 के शासनादेश सं0– 21/2020/531/आठ–1–20–106विविध/2018, दिनांक 18.03.2020 के द्वारा निंधारित मूल्यांकन के अनुसार है, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	योजना का नाम	भवनों की संख्या	भवन का कार्पेट/सुपर एरिया (वर्ग0मी0 में)	भवन का मूल्य (रू0 लाख में)	केन्द्रीय अंशदान (अनुदान) (रू0 लाख में)	राज्य अंशदान (अनुदान) (रू0 लाख में)	लाभार्थी द्वारा देय धनराशि (रू0 लाख में)	लाभार्थी द्वारा देय1%अनुरक्षण व 1%कारपस धनराशि (रू0 लाख में)	लाभार्थी द्वारा देय कुल धनराशि (रू0 लाख में) (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पारा आवास योजना	264	24.52/33.06	6.00	1.50	1.00	3.50	0.12	3.62

पंजीकरण :–

- पंजीकरण की अवधि 16 जनवरी, 2024 से 15 फरवरी, 2024 तक।
- पंजीकरण शुल्क रू0 5000.00 (रूपये पांच हजार मात्र)।
  अभियुक्ति– आवंटन के उपरान्त लाभार्थी द्वारा देय राशि में पंजीकरण शुल्क समायोजित कर दिया जायेगा।

भुगतान का विवरण :–

- लॉटरी के माध्यम से आवंटन पत्र निर्गत होने के 30 दिवस के अन्तर्गत रु. 45,000/– देय होगा अन्यथा भुगतान न होने की दशा में आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
- पंजीकृत लाभार्थी द्वारा अवशेष देय धनराशि रु. 3,00,000/– पर आवंटन पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से 01 माह में सम्पूर्ण अवशेष धनराशि जमा किये जाने पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

  अथवा

  अवशेष देय धनराशि रु. 3,00,000/– पर 12 मासिक किश्तों में 9 प्रतिशत सामान्य ब्याज दर से रु. 26,235/– प्रति माह भुगतान देय होगा (विलम्ब से भुगतान करने पर 11 प्रतिशत साधारण ब्याज देय होगा)।
- उपरोक्त समस्त भुगतान होने के उपरान्त एक माह के अन्दर 1% अनुरक्षण व 1% कारपस की धनराशि कब्जा पत्र निर्गत होने से पूर्व कुल रु. 12000/– अतिरिक्त देय होगी।

पंजीकरण हेतु पात्रता :–

- आवेदक भारत का नागरिक एवं लखनऊ के शहरी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। आवेदक को इस आशय का तहसील से जारी निवास प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
- आवेदक को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास (ए0एच0पी0) घटक के अन्तर्गत पंजीकृत हो एवं पात्रता की सभी शर्तें पूर्ण करते हों।
- आवेदक की उम्र पंजीकरण प्रारंभ होने की तिथि को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक परिवार (मुखिया) में पति–पत्नी और आश्रित बच्चे शामिल होंगे तथा मुखिया के पास उसके नाम से अथवा उसके परिवार (पति/पत्नी एवं अविवाहित बच्चे) के किसी सदस्य के नाम से भारत के किसी भी भाग में पक्का मकान (सभी मौसम रिहायशी इकाई) नहीं होना चाहिए।
- दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के भवनों हेतु अधिकतम रू0 300000.00 (रूपये तीन लाख मात्र) तक की वार्षिक आय वाले परिवार ही पात्र होगें। पंजीकरण प्रारंभ होने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष पूर्व का जारी हुआ आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगें। आवेदनकर्ता को सम्बन्धित जिलाधिकारी/तहसील से निर्गत आय प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- आरक्षित/विकलांग श्रेणी के लाभार्थी को जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी जाति/दिव्यांग प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- इस योजनान्तर्गत निर्मित किये गये आवास, परिवार की महिला मुखिया अथवा परिवार के पुरूष मुखिया और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम से होगा और केवल उन मामलों में जब परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं हो, तो परिवार के पुरूष सदस्य के नाम से किया जा सकता है।
- अपूर्ण एवं अधूरे आवेदन–पत्र पात्रता हेतु वैध नहीं होंगे।
- यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य/मिथ्या पाया जाता है, तो परिषद को उसके पंजीकरण/आवंटन एवं निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि नियमानुसार जब्त कर ली जायेगी।

आरक्षण :–

- उ0प्र0 आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या 1022/आठ–1–18–93 विविध/2018 दिनांक 11 जुलाई, 2018 के क्रम में प्रधानमंत्री आवासीय योजना सबके लिए आवास (शहरी) के अन्तर्गत

क्र0सं0	श्रेणी	वर्टिकल वरीयता प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति	21 %
2.	अनुसूचित जनजाति	02 %
3·	अन्य पिछड़ा वर्ग	27 %

(ब) हॉरिजेंटल वरीयता

क्र0सं0	श्रेणी	हॉरिजेंटल वरीयता प्रतिशत	कोड
1.	दिव्यांगजन	0.5 %	D
2.	विधवा/एकल महिला	0.8 %	W
3.	उभयलिंगी (Transgender)	0.5 %	T
4.	अल्प संख्यक	अन्य पिछड़ा वर्ग में पूर्व से अनुमन्य है।	M
5.	वरिष्ठ नागरिक	10 % (वरीयता–भूतल के भवन/फ्लैट)	S

- आरक्षण के लिए तहसील/सक्षम अधिकारी से निर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- वरिष्ठ नागरिक से तात्पर्य यह है कि पंजीकरण प्रारंभ होने की तिथि को आयु 60 वर्ष से कम न हो।
- सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी का सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र अपलोड न किये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
- आवेदन पत्र तथा सम्बन्धित अन्य प्रपत्र केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही निर्धारित समयावधि में स्वीकार किये जायेगें।

आवंटन :–

- आवेदकों को मैनुअल लाटरी के आधार पर आंवटन किया जायेगा जिसकी पूर्व सूचना नगर निगम लखनऊ की वेबसाइट **https://lmc.up.nic.in** एवं नगर निगम मुख्यालय के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध कराई जायेगी।
- प्राप्त आवेदनों में से वैध पात्र लाभार्थियों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा। लॉटरी कुल भवनों की संख्या से 10 प्रतिशत अधिक लाभार्थियों (यदि उपलब्ध हो) हेतु की जायेगी। उक्त 10 प्रतिशत की संख्या के लाभार्थियों की प्रतीक्षा सूची नगर निगम, लखनऊ द्वारा जारी करते हुए प्रतीक्षा सूची के अन्तर्गत आ रहे सभी लाभार्थियों को भी आवंटन पत्र जारी किया जायेगा। वास्तविक चयनित लाभार्थियों में से डिफॉल्टर (यदि कोई हो) लाभार्थियों का आवंटन निरस्त करते हुए प्रतीक्षा सूची में स्थित लाभार्थियों को क्रमवार डिफाल्टर लाभार्थियों के भवन आवंटित कर संशोधित पत्र जारी किया जायेगा। ऐसी दशा में डिफाल्टर लाभार्थियों द्वारा जमा धनराशि नगर निगम, लखनऊ के आवंटन नियमावली के आधार पर कटौती के उपरान्त डिफाल्टर लाभार्थियों को वापस कर दी जायेगी। लाभार्थियों द्वारा मांग पत्र के अनुसार धनराशि जमा कर भवन आवंटन स्वीकार कर लिया जाता है, तो प्रतीक्षा सूची के लाभार्थियों को प्रचलित एफ.डी.आर. की दर से नगर निगम, लखनऊ द्वारा ब्याज सहित पंजीकरण धनराशि वापस की जायेगी।
- लॉटरी का परिणाम सार्वजनिक रूप से नगर निगम लखनऊ के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट **https://lmc.up.nic.in** पर उपलब्ध होगा।
- पात्र एवं लाटरी में सफल आवेदक को आवंटन पत्र भारत सरकार के पोर्टल पर बायोमैट्रिक सत्यापन अनुसार ही निर्गत तथा अनुमन्य होगा, जिस हेतु लॉटरी में सफल आवेदक को स्वयं नगर निगम, लखनऊ/अन्य निर्धारित स्थल पर उपस्थित होकर बायोमैट्रिक सत्यापन करना अनिवार्य होगा।
- आवंटी विद्युत कनेक्शन सम्बन्धित विभाग से अपने खर्चे पर स्वंय लेगा।
- आवंटी द्वारा भवन का प्रयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा।
- आवंटन तक इस योजना की किसी भी शर्त में संशोधन का नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ में निहित को होगा तथा ऐसे संशोधन आवेदकों/आवंटियों को मान्य होगें। किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ का मान्य होगा।

पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं जमा धनराशि की वापसी :–

- यदि कोई आवेदक लॉटरी की तिथि घोषित होने के पूर्व पंजीकरण निरस्त करने का आवेदन देता है, तो उसकी पंजीकरण धनराशि वापस कर दी जायेगी और उसे लॉटरी की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया

जायेगा, किन्तु लॉटरी की तिथि घोषित होने के पश्चात और लॉटरी की प्रक्रिया सम्पन्न होने के पूर्व पंजीकरण निरस्तीकरण सम्बन्धी कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।

- लॉटरी के पश्चात असफल जिन आवेदकों को भवन आवंटित नहीं हो पाते है और जिनकी जमा राशि एक वर्ष से कम अवधि के लिए नगर निगम लखनऊ के पास जमा है उन्हें पंजीकरण राशि बिना ब्याज तीन माह के अन्दर आर0टी0जी0एस0 द्वारा आवेदन पत्र में अंकित बैंक खाते के माध्यम से वापिस की जायेगी। यदि किसी कारणवश उक्त पंजीकरण धनराशि समयानुसार वापस नहीं की जा सकी तो ऐसी दशा में उक्त जमा धनराशि पर आवेदक को ब्याज देय नहीं होगा। इस हेतु आवेदन में निर्दिष्ट स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता संख्या एवं बैक का आई0एफ0एस0सी0कोड अंकित करना अनिवार्य है।

- यदि किसी आवेदक द्वारा आवंटित भवन का समर्पण किया जाता है तथा नियम व शर्तो का उल्लंघन नहीं करता है, तो उस स्थिति में पंजीकरण राशि की 20 प्रतिशत+जी.एस.टी. धनराशि कटौती कर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी। धनराशि वापसी हेतु समस्त मूल प्रपत्र व मूल रसीद देनी होगी।

- भुगतान विवरण के अनुसार किश्तें लगातार अदा न करने पर भवन का आवंटन नियमानुसार निरस्त करने या दण्ड ब्याज निर्धारित करने का अधिकार नगर निगम लखनऊ को होगा।

आवंटी/आवेदक की मृत्यु की दशा में :–

- यदि आवंटी/आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसके पंजीकरण/उसको आवंटित भवन उसके उत्तराधिकारियों को, जो इस योजना हेतु पात्र है को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर नियमानुसार समस्त भुगतान करने पर हस्तान्तरित कर दिया जायेगा। वैध पात्र उत्तराधिकारी न मिलने पर भवन विभाग में निहित समझा जायेगा।

मिथ्या अभिकथन अथवा तथ्यों को छिपाना :–

- यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है, या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया गया है तो उनके आवंटन/निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नगर निगम लखनऊ नियमानुसार अन्य कोई कार्यवाही (जो उचित समझे) करने का स्वतंत्र होगा।

भवनों का पंजीकृत अनुबन्ध, कब्जा एवं लीज डीड :–

- प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीन भवन के सम्पूर्ण मूल्य व अन्य व्ययों के भुगतान के उपरांत शासनादेश संख्या 3188/आठ–1–13–80 विविध/2010, दिनांक 05 दिसम्बर 2013 के प्रस्तर–2 (viii) के अनुसाार ई.डब्ल्यू.एस. व एल.आई.जी. भवनों का विक्रय/हस्तान्तरण आवंटन की तिथि से 05 वर्षो तक प्रतिबन्धित है परन्तु किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा उक्त भवनों के लिए दिये गये ऋण की वसूली हेतु बन्धक रखे गये भवन की नीलामी/विक्रय हेतु उक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा, किन्तु नीलामी/विक्रय से प्राप्त धनराशि से सर्वप्रथम शासकीय सब्सिडी की वसूली की जाएगी, तत्पश्चात बैंक द्वारा अपने ऋण की वसूली की जायेगी। उपरोक्त दोनों धनराशि की वसूली के पश्चात कोई धनराशि बचती है तो वह धनराशि नगर निगम लखनऊ को वापस की जाएगी। निर्माण के उपरान्त लाभार्थी के पक्ष में आपैचारिकताऐं पूर्ण कराते हुए एवं पूर्ण भुगतान के उपरान्त पंजीकृत अनुबन्ध (त्रिपक्षीय) निष्पादित कराते हुए कब्जा दिया जायेगा। कब्जे की तिथि से 05 वर्ष तक उक्त इकाई का उपयोग आवंटी द्वारा स्वंय किया जायेगा। 5 वर्ष की अवधि के बाद ही लीज डीड निष्पादित किया जायेगा। 5 वर्ष की अवधि में आवंटी द्वारा उक्त इकाई का उपयोग स्वंय हेतु नहीं किया जाता है, तो आवंटन निरस्त करते हुए उक्त इकाई नगर

निगम लखनऊ में निहित हो जायेगी तथा आवंटी को कोई धनराशि देय नहीं होगी।

- आवंटी को समस्त मूल्य जमा करने के उपरान्त तीन माह के अन्दर समस्त औपचारिकायें पूर्ण कराकर अपने खर्च पर नगर निगम लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सत्यापित अनुबन्ध निष्पादित कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा नगर निगम लखनऊ द्वारा तत्समय की गयी दण्डात्मक कार्यवाही आवंटी को मान्य होगी।
- पंजीकरण से पूर्व आवंटी को ऑनलाइन अपलोड किये गये समस्त प्रपत्रों की मूल प्रति सत्यापन हेतु प्रस्तुत करनी होगी।
- निबन्धन में आने वाला समस्त व्यय (स्टाम्प पेपर व कोर्ट फीस) आवंटी द्वारा स्वंय वहन किया जायेगा।
- नगर निगम लखनऊ द्वारा सूचित अवधि में सत्यापित सशर्त अनुबन्ध न कराने एवं भवन का कब्जा न लेने पर आवंटी को नियमानुसार होल्डिंग शुल्क रू0 200/– प्रतिमाह देना होगा, तत्पश्चात निबंधन से विलम्बत्म 06 माह तक कब्जा न लेने पर नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ को भवन का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।
- योजना की सेवाओं का स्थानीय निकाय को हस्तान्तरण होने तक उनका रख–रखाव विकासकर्ता द्वारा किया जायेगा। योजनान्तर्गत निर्मित भवनों में कॉमन सुविधाओं के रख–रखाव हेतु उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट अधिनियम, 2010 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। विकासकर्ता द्वारा भवन के नियमित अनुरक्षण हेतु भवन की निर्धारित मूल्य की 1 प्रतिशत की धनराशि का अनुरक्षण फण्ड तथा वृहद एवं आकस्मिक अनुरक्षण कार्यो हेतु भवन के निर्धारित मूल्य के 1 प्रतिशत धनराशि कारपस फण्ड बनाया जायेगा। उक्त दोनों फण्ड में सम्पूर्ण धनराशि का योगदान लाभार्थियों द्वारा किया जायेगा। उक्त धनराशि भवन के सामान्य मूल्य के अतिरिक्त होगी। उक्त भवनों के पूर्ण होने के उपरान्त प्रथम कब्जे की दिनांक से अधिकतम 2 वर्ष तक अनुरक्षित किया जायेगा। 2 वर्ष के बाद आर0डब्ल्यू0ए0 का गठन हो जाने की स्थिति में साझा क्षेत्रों एवं सामूहिक सुविधाओं का हस्तान्तरण होने के पश्चात् अनुरक्षण फण्ड एवं कारपस फण्ड की अवशेष धनराशि रेजीडेट वेलफेयर एसोसियेशन को हस्तगत कर दी जायेगी।

शुल्क/कर आदि की देयता :–

- नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क आवंटी द्वारा देय होगें।
- दरे स्थायी नहीं हैं, आवंटन के पूर्व 10% की घटोतरी या बढ़ोतरी हो सकती है अथवा समय–समय पर परिषद अथवा शासन द्वारा इनमें किये गये प्रचलित संशोधन/परिवर्तन दर लागू एवं मान्य होगें।

अन्य सामान्य नियम व शर्तें :–

- आवंटन के पश्चात नगर निगम लखनऊ में अन्य प्रचलित शर्ते/नियम समय–समय पर परिषद अथवा शासन द्वारा इनमें किये गये संशोधन/परिवर्तन लागू एवं मान्य होगें।
- इस योजना से सम्बन्धित प्रत्येक मामले एवं वाद पर नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ का निर्णय अन्तिम होगा।

आवेदन कैसे करें :–

- योजना में आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से नगर निगम लखनऊ की वेबसाइट **https://lmc.up.nic.in**

पर किये जायेग।

LUCKNOW NAGAR NIGAM

Process of Filling of Online Form

ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने की प्रक्रिया

Brochure of Scheme is available on MUNICIPAL CORPORATION LUCKNOW. Website **https://lmc.up.nic.in** Please keep the following information ready before filling up the form.

योजना की विवरणिका (ब्रोशर) नगर निगम, लखनऊ के वेबसाइट **https://lmc.up.nic.in** पर उपलब्ध है। कृपया ऑनलाइन फार्म भरने से पूर्व निम्नवत् सूचना/प्रपत्र अपने साथ अवश्य रखें :–

Brochure available – **https://lmc.up.nic.in**

विवरणिका उपलब्ध – **https://lmc.up.nic.in**

Checklist (चेकलिस्ट)

Aadhar No. (Self – Attested Aadhar Card copy to be uploaded online)

1. आवेदक का आधार संख्या (स्वंय हस्ताक्षरित आधार प्रपत्र की प्रति अपलोड करने हेतु साथ रखें)।

2. Mobile No./मोबाइल नम्बर

3. If you belong to Vertical Reservation Category please keep a copy of certificate of your category (Schedule cast, Schedule tribe or other backward Class) – to be uploaded online.

यदि वर्टिकल आरक्षण श्रेणी में है तो अपनी आरक्षण श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) का प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु साथ रखें।

4. Recent Passport size photograph of applicant – to be uploaded online in JPEG format.

आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो जेपीईजी फार्मेट में अपलोड करने हेतु साथ रखें।

5. If you belong to Disabled Category (Horizontal Priority Category) please keep a copy of certificate to be uploaded online.

यदि आवेदक दिव्यांगजन श्रेणी (छैतिज आरक्षण श्रेणी) के अन्तर्गत हैं तो दिव्यांगजन श्रेणी का मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु साथ रखें।

6. Income certificate (should be alloted by DM/Tehsildar, Lucknow & not to be older than 1 year from the starting date of registration) – to be uploaded online.

आय प्रमाण पत्र (पंजीकरण प्रारम्भ होने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष पूर्व का ही जिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा) अपलोड करने हेतु साथ रखें।

7. Bank account Details (Bank account number and IFSC Code) for Refund to the unsuccessful applicants.

बैंक खाते का विवरण (खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी. कोड) जिसमें असफल आवेदक को पंजीकरण राशि वापिस की जायेगी।

8. Aadhar Number of Spouse (If Married)/Aadhar No. of Parent (If Unmarried).

पति/पत्नी का आधार संख्या (यदि विवाहित है)/माता/पिता का आधार संख्या (यदि अविवाहित है)

9. It is mandatory to upload affidavit (Attached with the application form) on the stamp paper of Rs.10.00.

रू0 10.00 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र (जो कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न है) अपलोड करना अनिवार्य है।

10. Aadhaar Card, if not available Voter ID Card/Any other unique identification number of Father/Mother (Required in case of Unmarried Man/Unmarried Man/Unmarried Woman/Unmarried Transgender. Single/Divorcce Woman)

पिता/माता का आधार/मतदाता पहचान पत्र/कोई अन्य विशिष्ट पहचान पत्र संख्या अपलोड करने हेतु साथ रखें। (अविवाहित पुरूष/अविवाहित महिला/ अविवाहित उभयलिंगी एवं विधवा/एक महिला के लिये अनिवार्य है,)

a. Adhar
b. Voter ID
c. Pan Card
d. Passport
e. Driving License
f. Ration card
g. Other

Note : We suggest you to take a print out of the blank form and fill in ther detail before filling online to avoid any mistakes**

नोटः– हमारा सुझाव है कि कृपया ऑनलाइन फार्म भरने से पूर्व निम्नवत् फार्म भरकर अपने साथ रखें, जिससे ऑनलाइन एण्ट्री दर्ज करते समय त्रुटि की सम्भावना नहीं रहें।

Proceed for Payment
भुगतान प्रक्रिया

Online Payment Mode :

Please tick to select the online Payment Mode.

ऑनलाइन भुगतान हेतु विकल्प पर क्लिक करें।

1. NET banking (नेट बैंकिग)

2. Debit Card (डेबिट कार्ड)

3. Credit Card (क्रेडिट कार्ड)

Please submit to print the online receipt of payment.

ऑन लाइन भुगतान के उपरांत ऑनलाइन रसीद हेतु सबमिट करें।

After successful payment a confirmatory SMS shall be sent to the registered mobile number of the applicant.

सफल भुगतान होने के उपरान्त आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर पुष्टि हेतु एक एसएमएस प्रेषित किया जायेगा।

रू0 10/— के स्टैम्प पेपर पर (नोटरी द्वारा सत्यापित) समक्ष नगर निगम लखनऊ

शपथ—पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी.. उम्र................ वर्ष.................. पुत्र/पुत्री/पत्नी .... निवासी.. शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ:

1. मैं एतद्द्वारा शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मैंने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों, शर्तों, दशाओं विशेष सूचनाओं की परिभाषा, पंजीकरण के इस चरण की प्रक्रिया, जिसका उल्लेख इस पुस्तिका में किया गया है, को स्पष्ट समझ लिया तथा मैं इसके पालन का वचन देता/देती हूँ।
2. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने अथवा मेरे पति/पत्नी तथा आश्रित बच्चे ने पहले किसी भी सरकारी आवास योजना के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु आवेदन नहीं किया गया है। मेरा अथवा मेरे पति/पत्नी या आश्रित बच्चों के नाम भारत वर्ष अथवा उ.प्र. राज्य के अन्य किसी नगर/शहर में कोई भी आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं है।
3. यदि भूमि अर्जन के प्रतिकर के संबंध में माननीय न्यायालय के आदेश द्वारा अथवा अन्य किसी न्यायिक प्रक्रिया में अपरिहार्य कारण से (जी+3) प्रकार के भवन मे मूल्य में वृद्धि होगी तो उसका निर्धारित नियमों के अनुरूप भुगतान करूँगा/करूँगी।
4. यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाने पर श्री/श्रीमती/सुश्री .... जो रिश्ते में मेरे/मेरी .... हैं एवं खून के संबंधी हैं, को इस पंजीकरण के नामान्तरण हेतु प्रथम वरीयता पर नामित करती/करता हूँ। प्रथम वीरयता के नामान्तरी की मृत्यु होने पर इसी क्रम में श्री/श्रीमती/सुश्री .... जो मेरे/मेरी .... हैं एवं खून के संबंधी हैं, को इस पंजीकरण हेतु द्वितीय वरीयता पर नामित करता/करती हूँ।
5. मै पंजीकरण पुस्तिका का भलीभांति अध्ययन करने के उपरान्त निर्दिष्ट समस्त शर्तों/प्रतिबन्धो को अनुपालन करूँगा/करूँगी। यदि मेरे द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो नगर निगम लखनऊ को मेरा आवंटन निरस्त करने एवं पंजीकरण धनराशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
6. मेरे द्वारा आवेदन पत्र मे स्वयं का खाता संख्या/बैंक/शाखा अंकित किया गया है वह संचालित रहेगा।
7. मैं शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि गत वित्तीय वर्ष 2022—23 में समस्त श्रोतों से मेरी कुल वार्षिक आय (रू0 3,00,000 से अधिक नहीं है) जिसमें मेरे परिवार के समस्त सदस्यों एवं आश्रित संबंधियों की आय सम्मिलित है।
8. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास घटक के अन्तर्गत केन्द्र सरकार/सूडा/ डूडा में आवेदित व्यक्ति की पंजीकरण संख्या .... आधार नम्बर .... पंजीकृत है।
9. मैं एतद्द्वारा शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि धारा 1 से 8 में कहा गया कथन सर्वथा सत्य है। यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मेरे द्वारा कोई असत्य विवरण जान—बूझकर निगम को दिया गया है, तो नगर निगम लखनऊ को मेरे विरूद्ध कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।

दिनांक : शपथकर्ता के हस्ताक्षर

घोषणा—

- मैं एतद्द्वारा शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त क्रमांक 1 से 9 तक की दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से सर्वथा सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है। यदि भविष्य में सरकार/ लखनऊ नगर निगम द्वारा कोई भी दिशा निर्देश दिये जाते हैं तो वह मेरे द्वारा मान्य होंगे।

दिनांक : शपथकर्ता के हस्ताक्षर

TYPICAL EWS UNIT UNDER PRADHAN MANTRI AWAS YOJNA(URBAN) AT KHASRA NO.1672,1689,1691,1696 ON VILLAGE PARA LUCKNOW

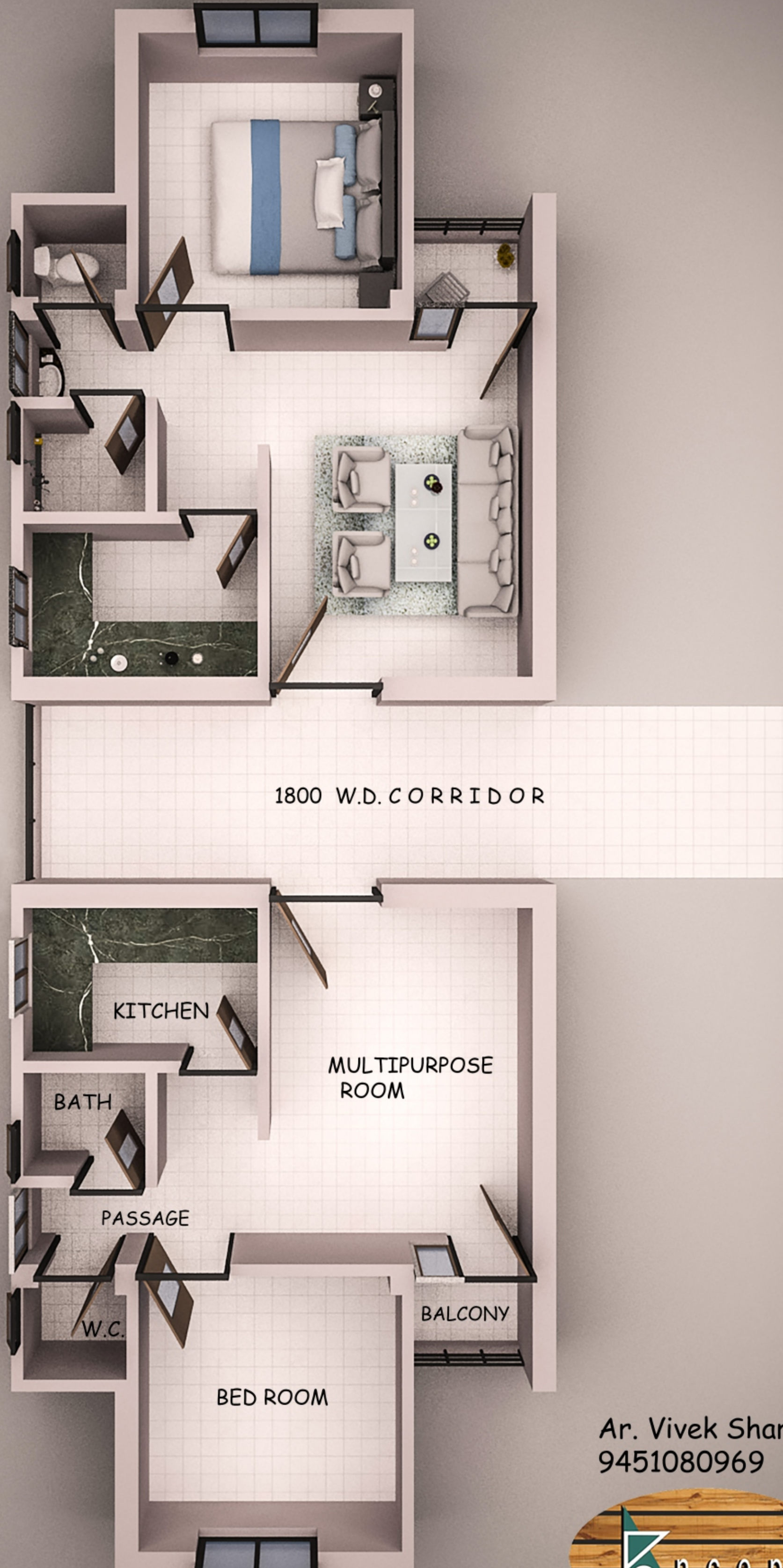

MULTIPURPOSE ROOM ---2580X3490

BED ROOM ---2585X2700

KITCHEN ---2300X1500

BATH ---1200X1010

W.C. ---1015X900

Ar. Vivek Sharma
9451080969

LAYOUT PLAN OF EWS BLOCK UNDER PRADHAN MANTRI AWAS YOJNA (URBAN) AT KHASRA NO. 1672, 1689, 1691, 1696 ON VILLAGE PARA LUCKNOW

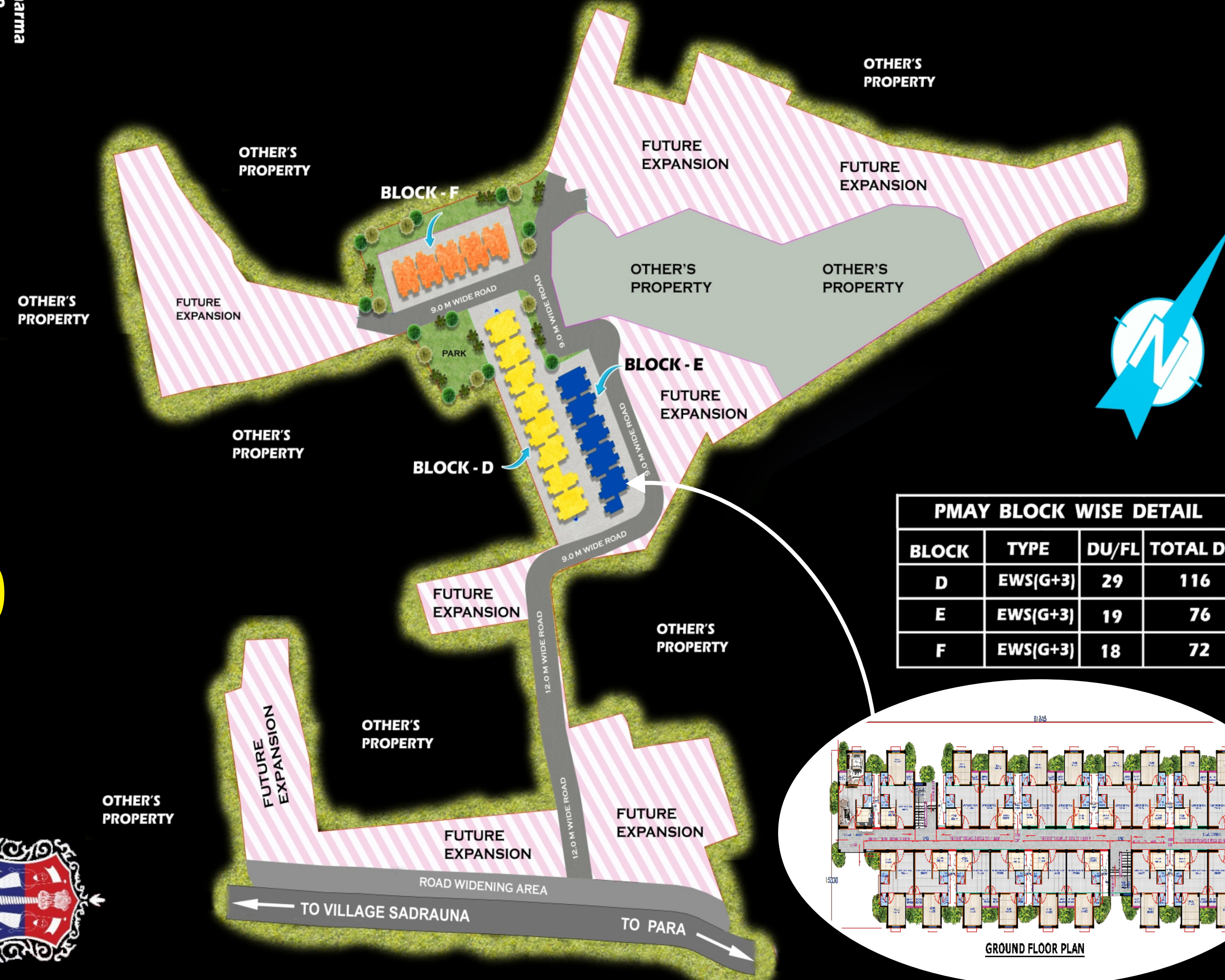

PMAY BLOCK WISE DETAIL

BLOCK	TYPE	DU/FL	TOTAL DU
D	EWS(G+3)	29	116
E	EWS(G+3)	19	76
F	EWS(G+3)	18	72

Ar. Vivek Sharma
9451080969
Koncept The Design Studio

लखनऊ नगर निगम